

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर**  
क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/15 दिनांक 27/01/2025  
**आदेश**

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें देय एसीपी निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति दिनांक	चयनित वेतनमान हेतु सेवा पूर्ण करने की तिथि	पे मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक एवं पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
					वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	नवरतन खण्डेलवाल, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर	01.01.1997	31.12.2023	01.01.2024 (27वर्षीय)	एल-11	एल-12

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/15

दिनांक 27/01/2025

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर।
- संबंधित नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी।
- श्री नवरतन खण्डेलवाल, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर द्वारा उनके नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :25-01-2025 02:29:00